

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और घुमंतू समुदाय

अनिल विठ्ठल मकर,
शोधछात्र, हिंदी विभाग,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुरा
मो.नं. 9673417920
ई-मेल: anilmakar70@gmail.com

सारांश (Abstract) :

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न जनजातियों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। स्वतंत्रतापूर्व काल में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का जो साहस राजा-महाराजा नहीं दिखा पाए, वही काम इन घुमंतू समुदाय और विविध जनजातियों ने दिखाया है। इनमें रामोशी, भील, कोली, गौड़ आदि कई जनजातियों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने ही सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव डाली। अपने देश तथा समाज के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वालों में रामोशी समाज के नरवीर उमाजी नाईक का नाम सबसे अग्रणी है। उन्हें अंग्रेजों की गुलामी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसलिए तो अंग्रेजों के राज में भी वे भोर संस्थान के 13 गाँवों का राजस्व वसूलते थे। उन्होंने छापामार पद्धति अंग्रेजों पर आक्रमण कर उन्हें परेशान कर दिया था। वे अपने आदिमियों को अलग-अलग इलाके में बिखरकर एक साथ एक ही समय वे अंग्रेजों पर हमला करते। इसलिए अंग्रेज भी उन्हें बहुत डरते थे। इसी प्रकार घुमंतू जातियों ने पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का दिखाने के कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ राजा-महाराजाओं का मनोबल बढ़ गया और सन 1857 का पहला स्वतंत्रता समर हो गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़नेवाली अनेक घुमंतू जातियाँ ही थीं। उन्हे इसी विद्रोही वृत्ति के चलते अंग्रेजों ने उन्हें अपराधी जातियों के श्रेणी डालकर उनपर बड़े पैमाने पर अत्याचार किए। देश की आजादी में इन घुमंतू समुदाय का महत्त्वपूर्ण योगदान है लेकिन आजादी के बाद भी ये समुदाय उपेक्षित ही है। न उन्हें विकास की धारा में अपेक्षित स्थान मिला है न भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में।

बीज शब्द (Key Word) : घुमंतू समुदाय और स्वतंत्रता आंदोलन, नरवीर उमाजी नाईक, रामोशी समाज और स्वतंत्रता आंदोलन, घुमंतू समुदाय की उपेक्षा।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न जनजातियों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। स्वतंत्रतापूर्व काल में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का जो साहस राजा-महाराजा नहीं दिखा पाए, वही काम इन घुमंतू और विविध जनजातियों ने किया। इसमें रामोशी, भील, कोली, गौड़ आदि कई जनजातियाँ शामिल हैं। उन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ पहले विद्रोह कर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव डाली। इसी से राजा-महाराजाओं का मनोबल बढ़ गया और सन 1857 का पहला स्वतंत्रता समर हो गया। इसमें घुमंतू और अन्य जनजातियों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। फिर भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इन घुमंतू जातियों को अपेक्षित स्थान नहीं मिला है।

विमुक्त घुमंतू समुदाय में रामोशी समाज के योगदान के संदर्भ में विचार करें तो सन् 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन के पहले उन्होंने अंग्रेजों की जुल्मी और विस्तारवादी राजसत्ता के खिलाफ आवाज उठाया था। यह जाति प्रमुखता से महाराष्ट्र में मिलती है। शरीर से तगड़ी, शूर और साहसी यह जाति राजा-महाराजाओं के काल में किलों का बंदोबस्त और पहरेदारी का काम करती थी। वे खुद को निजाम के प्रदेश में होने वाले शोरपुर के राजा को प्रमुख मानते थे। गाँव का राजस्व इकट्ठा करने का काम भी वे करते थे। अंग्रेजों के आगमन के बाद उन्होंने विविध प्रदेशों पर वर्चस्व स्थापित किया। इसी के चलते इस रामोशी समाज को विविध कामों से उन्हें निष्कासित किया। इससे उनके रोजी-रोटी का सवाल निर्माण हो गया। इसी के चलते उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क गई। उन्हें अंग्रेजों के निर्बंध उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसी के चलते अंग्रेजों के विरोध में रामोशी

समाज एक हो गया। इसी समाज के साहसी, शूर योद्धा नरवीर उमाजी नाईक को अंग्रेजों की गुलामी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसी के चलते वे अंग्रेजी राज का समय-समय पर विरोध करते रहे। वे अंग्रेजों के राज में भी भोर संस्थान के 13 गाँवों का राजस्व वसूलते थे। छापामार पद्धति से उमाजी नाईक के आदमी कब आकर आक्रमण करेंगे इसका भरोसा नहीं था। इसलिए अंग्रेज उन्हें बहुत डरते थे। उमाजी नाईक अपने आदमियों को अलग-अलग इलाके में बिखरकर रखते थे और एक साथ एक ही समय वे अंग्रेजों पर हमला करते। इस प्रकार उमाजी के नेतृत्व ने रामोजी समाज ने अंग्रेजों का परेशान कर दिया।

उमाजी नाईक ने 1824-25 में अंग्रेजों का भांबुर्डे का खजाना लूट लिया। उमाजी अमीरों का खजाना लूटते लेकिन गरिबों बिल्कुल परेशान नहीं करते। उन्होंने जेजूरी, सासवड, भिवरी, किकवी आदि कई जगहों पर लूटपाट अंग्रेजों को परेशान किया। इससे अंग्रेजों की कानून-व्यवस्था चरमरा गई। उन्हें जगह-जगह पर पुलिस चौकियाँ शुरू करनी पड़ी। उमाजी नाईक को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने बड़ा-बड़ा इनाम लगाया लेकिन जनता का विश्वास संपादन करने के कारण उमाजी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। स्वतंत्रतापूर्व काल में अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार लड़ना इतना आसान नहीं था लेकिन उन्होंने अपने साहस और शूरता के बल पर यह सब करके दिखाया। आखिर अंग्रेजों ने उमाजी को पकड़ने के लिए कूटनीति का अवलंब कर उसकी पत्नी और बच्चों को कैद किया। इससे वे खुद अंग्रेजों के स्वाधीन हो गए। इस दौरान अंग्रेजों ने उन्हें कैद करने के बजाय सातारा इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी लेकिन नातेपुते, खटाव परिसर में उमाजी ने फिर विद्रोह की तैयारी शुरू करने खबर अंग्रेजों को मिलते ही उन्हें कैद किया। इससे वे छूट गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ का आंदोलन और तेज किया। उन्होंने अंग्रेज जहाँ दिखे, वहाँ उनका खात्मा करने का तथा अंग्रेजों को राजस्व न देने के आदेश दिए। साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने सरकार को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने पुणे, सोलापुर, सांगली, सातारा, अहमदनगर, मराठवाडा आदि जगहों पर दंगे कर अंग्रेजों को परेशान किया। अंग्रेज व्यवस्था के खिलाफ कई दिनों तक उनका विद्रोह जारी था। इससे अंग्रेजों का खून खौल गया। पैसे लालच में उमाजी के ही साथियों ने गद्दारी करने के कारण वे पकड़े गए। आखिर अंग्रेजों ने 3 फरवरी, 1834 को अंग्रेजों ने उन्हें फाँसी दी। इस प्रकार उमाजी नाईक के नेतृत्व रामोशी समाज ने स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान दिया। उमाजी नाईक के बाद भी यह रामोशी समाज अलग-अलग राजाओं की सेनाओं में शामिल था। यह हुआ घुमंतू जातियों में से रामोशी समाज का योगदान। ऐसी कई घुमंतू जातियाँ हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें राजस्थान के मेवाड प्रांत का गाड़िया लोहार समाज भी हैं। जिन्होंने महाराणा प्रताप के काल में आजादी के जंग में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यह शूर, साहसी घुमंतू जातियाँ ही अंग्रेजों की सबसे बड़ी सिरदर्द थी। सन 1857 के पहले भी इन घुमंतू जातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। “1857 के विद्रोह में इन सभी जातियों ने भाग लिया था। जिससे घबराकर यह कानून बनाया गया था। ये ऐसी जातियाँ थीं जो लगातार घूमती ही रहती थीं परंतु अंग्रेजों के अलावा भी कई जातियाँ थीं जो अंग्रेजों की सूची में नहीं थीं।”¹ सन् 1857 के आंदोलन के बाद अंग्रेज शूर, साहसी घुमंतू जनजातियाँ की ताकत जान गई। अगर इन घुमंतू जातियों का बंदोबस्त नहीं किया तो भारत में राज करना मुश्किल होगा; यह अंग्रेज सरकार जान गई थी। अंग्रेज शासन-काल में लगाए गए विविध निर्बंधों के चलते घुमंतू जनजातियों को भी अपनी जीविका चलना मुश्किल हो गया। इससे विविध कारणों के चलते इन घुमंतू जातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया। यह शूर, साहसी और लढवैय्या जनजातियाँ राजा-महाराजाओं की सेना में भी थी। इसलिए इन घुमंतू जातियों का अंग्रेजों को डर लगने लगा। उन पर लगाम कसने के लिए अंग्रेज अधिकारी स्टीफन ने एक कानून बनाया। यह ‘क्रिमिनल ट्राइब एक्ट’ नामक कानून अंग्रेजों ने 1871 में लागू किया। इसके तहत इन घुमंतू जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित किया। इसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने के कारण लढवैय्या, शूर, साहसी घुमंतू जातियाँ अपराधी घोषित की गई। उनपर चोर, उठाईगीर का सिक्का पड़ गया। अंग्रेजों की करीब 53 देशों में सत्ता थी लेकिन यह कानून सिर्फ भारत में ही लागू किया था। इन

घुमंतू जातियों के स्वतंत्रतापूर्व काल में खुले जेल बनाए गए थे। अंग्रेजों को ज्यादा परेशान करनेवाली जातियों को इस जेल में रखा जाता था। उसमें इन लोगों से वहाँ के कारखानों पशुओं की तरह 18-18 घंटे तक काम करवा लिया जाता था। न ठीक से खाने के लिए दिया था न कोई सुविधा। काम न करने पर कोड़े बरसाए जाते थे। महाराष्ट्र में भी चिंचवड, सोलापुर, पुणे, बारामती, जेजुरी, औरंगाबाद आदि जगहों पर ऐसे खुले जेल याने सेटलमेंट थे। उस दौरान देश में करीब 193 घुमक्कड़ जन-जातियों को अपराधी जातियों के रूप में घोषित किया था। जो खुले जेल में नहीं थे, उनपर पुलिस की कड़ी नजर रहती थी। जिन्हें नियमित रूप में पड़ोस के पुलिस थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। इसके पीछे यह जनजातियाँ अंग्रेजों के खिलाफ कोई योजनाएँ न बनाए, यही उद्देश्य था।

विडंबना की बात यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाली इन घुमंतू जातियों के संदर्भ में लागू किया अपराधी जाति का कानून हटाने के लिए भी देश आजाद होने के बाद करीब पाँच साल लगाए गए। 31 अगस्त, 1952 को घुमंतू जातियों को अंग्रेजों के काल के अपराधी कानून से मुक्त किया गया। 11 अप्रैल, 1960 तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने महाराष्ट्र के सोलापुर में इस अपराधिक कानून से मुक्त लोगों के लिए 'विमुक्त' याने 'विशेष रूप में मुक्त' शब्द का प्रयोग किया। तब से घुमंतू जातियों के साथ विमुक्त शब्द स्थायी रूप में जुड़ गया। आज देश में करीब इस समुदाय की 20 करोड़ आबादी है लेकिन उनके विकास की ओर ध्यान न देने के कारण आज भी वह रूढ़ी-परंपरा, अज्ञान, अंधविश्वासों में फँसा हुआ है। उनके विकास की ओर किसी भी सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया है। स्वतंत्रता आंदोलन बाद भी इन जातियों की ओर शक की दृष्टि से देखा जाता है। उनके विकास की दृष्टि से गठित किए बालकृष्ण रेणुके आयोग ने 2008 में तथा दादा इदाते आयोग ने 2018 में रिपोर्ट पेश करने के बावजूद उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया है। इस प्रकार घुमंतू जातियों को स्वतंत्रतापूर्व काल में और स्वतंत्रता के बाद भी उपेक्षा का ही सामना करना पड़ा है।

● निष्कर्ष:

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विमुक्त घुमंतू समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब राजा-महाराजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस नहीं दिखाया, वही साहस घुमंतू जनजातियों ने दिखाया दिखाई देता है। घुमंतू तथा अन्य विविध जनजातियों के विद्रोह के चलते ही सन् 1857 के पहले स्वतंत्रता समर की नींव डाली गई। भील, रामोशी आदि कई जातियों ने अंग्रेजों पर हमले कर हैरान कर दिया। नरवीर उमाजी नाईक ने रामोशी समाज को इकट्ठा का अंग्रेज सत्ता का कड़ा विरोध किया। इसी घुमंतू जातियों पर लगाम कसने के लिए अंग्रेजों ने उनके खिलाफ 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स कानून लागू किया और इन जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित किया। उनपर अमानवीय अत्याचार किए गए। इस प्रकार घुमंतू समाज का स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

● संदर्भ :

1. hindi.webdunia.com/current-affairs
2. डॉ. नागनाथ कदम, महाराष्ट्रातील भटक्या समाज : संस्कृति व साहित्य (महाराष्ट्र का घुमंतू समाज : संस्कृति और साहित्य), प्रतिमा प्रकाशन, पुणे, प्र.सं. 1995
3. <https://navbharattimes.indiatimes.com/life-of-tribes>.